No. 931/01
Filed today 7.4.01
by Shri S.S.Pandey
Advocate
Central Administrative Tribunal

3

(3)

समक्ष माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण रायपुर (छ. ग.)

CA(S) 362/01

ओ.ए. क्र. (226) / 2001

1. चिन्तुर सुखराम आत्मज पोचैया
   उम्र 42 वर्ष, पूर्व सहायक शिक्षक
   निवासी भोपालपटनम जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)
2. कमलेश कुमार वर्मा आत्मज कृतराम वर्मा
   उम्र 33 वर्ष, पूर्व सहायक शिक्षक
   निवासी देवांगनपारा धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) – आवेदकगण

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ शासन,
   द्वारा सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग मंत्रालय
   डी.के. एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. म.प्र. शासन,
   द्वारा सचिव, आदिमजाति कल्याण विभाग मंत्रालय,
   वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
3. आयुक्त
   आदिवासी विकास (आदिमजाति कल्याण विभाग)
   छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. सहायक आयुक्त/सहायक परियोजना प्रशासक
   आदिवासी विकास विभाग, दंतेवाड़ा
   जिला –दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) – अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 19 प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985

1. आवेदकगण का विवरण :– उपरोक्तानुसार है
2. अनावेदकगण का विवरण :– उपरोक्तानुसार है
3. आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है :–

यह आवेदन किसी विशिष्ट आदेश के विरुद्ध नहीं है बल्कि आवेदकगण को अनावेदकगण द्वारा वैसा ही लाभ न दिये जाने के विरुद्ध यह याचिका प्रस्तुत है, जैसा लाभ माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण रायपुर ने उन 26 सहायक शिक्षकों को ओ. ए. क्रमांक 243/98 निर्णय दिनांक 15.10.99 द्वारा पारित आदेश में दिया है और ऐसा ही लाभ पूर्व में माननीय राज्य प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर द्वारा उन 57 सहायक शिक्षकों को ओ. ए. क्रमांक 2745/89 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.92 द्वारा दिया गया है।

अनुलग्न ए/1

अनुलग्न ए/2

(35)

HIGH COURT OF CHHATTISGAH AT BILASPUR

WRIT PETITION (S) NO. 3623 OF 2005

Petitioners : Chintur Sukhram and another

Versus

Respondents : State of Chhattisgarh & Others

SB : Hon'ble Shri Satish K. Agnihotri, J

Present :-

Shri S. Pandya, counsel for the petitioners.

Ms Sunita Jain, Panel Lawyer for the State.

ORDER

(24th Day of January, 2007)

Learned counsel appearing for the petitioners as well as for the State/respondents jointly submit that the facts of the present writ petition are similar to that of in W.P.(S) No.5976/2006 (**Sushil Tiwari and others vs. State Government of Chhattisgarh & Others**), which was allowed vide order dated 7-11-2006. They further submit that the question of law involved is also the same.

2) In view of the above state submissions made by learned counsel for the parties, the writ petition is allowed in terms of the order dated 7-11-2006 passed by this Court in W.P.(S) No.5976/2006 (**Sushil Tiwari and others vs. State Government of Chhattisgarh & Others**). No order as to costs.

Sd/-
Satish K. Agnihotri
Judge

Subbu